

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं.:—15/2019

1. भगवान सिंह पुत्र फूला उर्फ फूल्या जाति दरोगा

निवासी रूण्डल, रेलीहाली की ढाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. कंवर पाल सिंह पुत्र माल सिंह जाति दरोगा

निवासी रूण्डल, रेलीहाली की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर राज।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 22.01.2021

वादी की ओर से ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 139/1847/2078, 139/2663, 140/1848, 141/1849 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.26 है. के सन्दर्भ धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा के वारिसान के साथ वादी का नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.01.2021 को जारी कियागया।

दस्तख्त—

ओहदा—

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	—	स्टाम्प वकालतनामा	4 रूपये	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजहसबूत	—	—
महन्ताना वकील	—	—	महन्ताना वकील	—	—
खर्चा गवाहन	—	—	खर्चा गवाहन	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
बबत् इजराय हुक्मानामा	—	—	बबत् इजराय हुक्मानामा	—	—
मुतफरित	4 रूपये	—	मुतफरित	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं.:—15/2019

2. भगवान सिंह पुत्र फूला उर्फ फूल्या जाति दरोगा

निवासी रुण्डल, रेलीहाली की ढाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

3. कंवर पाल सिंह पुत्र माल सिंह जाति दरोगा

निवासी रुण्डल, रेलीहाली की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर राज।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक

वादी की ओर से ग्राम रुण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 139/1847/2078, 139/2663, 140/1848, 141/1849 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.26 है. के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि हाल राजस्व रिकार्ड में वादी की माता धन्नी देवी बेवा के नाम 1/4 हिस्से के रूप में सहखातेदारिता में दर्ज है। वाद में उक्त 1/4 हिस्सा ही विवादित है शेष हिस्सों के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, अतः शेष हिस्सेदारों/सहखातेदारों को वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वर्तमान में वादी की माता धन्नी देवी बेवा फूला का भी देहान्त हो गया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित वाद अधीन भूमि कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.26 है. के साबिक खसरा नंबर 50 थे, जो पुराने राजस्व रिकार्ड सम्बत 2033—36 व सम्बत 2037—40 तक वादी के पिता फूला उर्फ फूल्या के नाम हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज थे उसी खाते में साबिक ख.नं. 281 भी था जो कि (भी) राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता फूला उर्फ फूल्या पुत्र छोटू के नाम हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज था। वादी के पिता फूला उर्फ फूल्या का देहान्त दौराने सेटलमेन्ट हो गया था तथा सेटलमेन्ट के दौरान पक्षकारों में आपसी विभाजन भी हो गया था जिसके आधार पर अलग अलग खाते बना दिए गए। वादी ने अपने वाद पत्र में आगे वर्णित किया है कि वादी के पिता स्व. फूला उर्फ फूल्या की विरासत का नामान्तकरण वादी व उसकी माता धन्नी देवी के नाम नियमानुसार खुल गया था किन्तु सेटलमेंट के बाद खाते नये बनने से

खसरा नम्बर 281 में से जो नये खसरा नम्बर 446, 470, 567 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.73 है. बने वो तो वादी भगवान सिंह व उसकी माता धन्नी देवी के नाम जमाबंदी में आगया किन्तु वादग्रस्त भूमि अर्थात साबिक खसरा नं. 50 जो कि उक्त खाते में ही शामिल था उसमें सहवन से वादी का नाम दर्ज होने से रह गया तथा उसमें मात्र वादी की माता धन्नी देवी के नाम ही हिस्सा 1/4 दर्ज हो गया तथा वर्तमान में वादी की माता धन्नी देवी का देहान्त हो गया है। उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण हेतु वादी ने प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र लगाया तो तहसीलदार आमेर ने जरिये नामान्तकरण सं. 159 दिनांक 06.07.2004 द्वारा खसरा नम्बर 446, 470, 567 में तो धन्नी के स्थान परवादी के नाम दर्जकरने के आदेश पारित कर दिये, किन्तु शामलाती खाते अर्थात वादग्रस्त खाते में प्रतिवादी सं. 1 की झूठी शिकायत पर उस समय नामान्तकरण नहीं खोला गया। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन करने पर उक्त प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नामान्तकरण के सन्दर्भ में सहमति/ अनापत्ति व्यक्त करते हुए नामान्तकरण खुलवाने बाबत आश्वस्त किया गया परन्तु इसके उपरान्त भी निरन्तर सम्पर्क एवं निवेदन के पश्चात भी प्रतिवादी सं. 1 वादी के नाम विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुलने दे रहा है, ना ही प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तकरण खोला जा रहा है। जिससे प्रतिवादीगण की कार्यप्रणाली व इन्कारी को देखते हुए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय से घोषणा की डिक्री प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी में दर्ज धन्नी देवी बेवा फूला के स्थान पर वह अपने आपको हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये तथा प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय, रहन, दान, व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित ना करें। अतः वादपत्र स्वीकार/ डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आ.ख.नं. 139/1847/2078, 139/2663, 140/1848, 141/1849 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.26 है. के सन्दर्भ में दर्ज खातेदार (सहखातेदार) धन्नी देवी बेवा फूल्या हिस्सा 1/4 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादी को जबरन तथा विधिक प्रक्रिया के अभाव मे बेदखल नहीं करें तथा नाही वादग्रस्त आराजी को विक्रय, रहन, हस्तान्तरण ना करें।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :-

1. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2033-2036 बाबत साबिक खसरा नं.
50, 124, 281
2. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2037-2040 बाबत साबिक खसरा नं.
50, 124, 281
3. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2058-2061 बाबत खसरा नं.
139 / 1847 / 2078, 139 / 2663, 140 / 1848,
141 / 1849
4. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2058-2061 बाबत खसरानं.
446, 470, 567 (कुल पृष्ठ किता 3)
5. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2062-2065 बाबत हाल खसरा नं.
446, 470, 537 (कुल पृष्ठ किता 1)
6. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2062-2065 बाबत हाल खसरा नं.
139 / 1847 / 2078, 139 / 2663, 140 / 1848,
141 / 1849 (कुल पृष्ठ किता 2)
7. प्रमाणित प्रतिलिपि :-जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 बाबत खसरा नं.
139 / 2078, 139 / 2663, 140 / 1848, 141 / 1849
(कुल पृष्ठ किता 1)
8. प्रमाणित प्रतिलिपि :-मिलान क्षेत्रफल (कुल पृष्ठ किता 6)
9. प्रमाणित प्रतिलिपि :-नामान्तकरण रजिस्टर प्रविष्टि सं. 158

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा औपचारिक मात्र जवाब प्रस्तुत करवा दी के पक्ष में नियमानुसार विरासत नामान्तकरण खोले जाने बाबत अनापत्ति व्यक्त करते हुए वाद वादी नियमानुसार निर्णित किये जाने बाबत कथन किया गया।

उभय पक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1. आया सेटलमेंट पूर्व के साबिक ख.नं. 281 के नवीन ख.नं. 446, 470, 567 तो बाद फौतगी नामान्तकरण वादी भगवान सिंह पुत्र फूला व उसकी माता धन्नी देवी पत्नि फूला के नाम दर्ज हो गये परन्तु उसी खाते के अन्य खसरा नं. 50 के नवीन खसरा नम्बरान में खातेदार फूला के फौतगी नामान्तकरण में वादी

(पुत्र) का नाम शामिल ना होकर मात्र धन्नी देवी (पत्नी) के नाम ही सहवन से अंकित हो गया। जिसे दुरुस्त कराने का वादी अधिकारी है।

—वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में खातेदार के रूप में दर्ज धन्नी देवी पत्नि फूला हिस्सा 1/4 के स्थान पर स्वयं को खातेदार घोषित कराते हुये स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने का अधिकारी है।

—वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपना ये बेदखल नहीं करें।

—वादी

4. अनुतोष

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी भगवान सिंह पुत्र फूला का प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात जिरह साक्ष्य वादी की प्रक्रिया के अन्तर्गत नियत तारीख पेशीयों पर निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके क्रम में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गोर पूर्वक अवलोकन किया। जिसके क्रम में प्रकरण का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार है :-

तनकी सं. 1 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसके क्रम में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज **प्रदर्श P-8 मिलान क्षेत्रफल** ग्राम रूण्डल तहसील आमेर से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 139/1847/2078 रकबा 0.25 है., 139/2663 रकबा 0.41 है., 140/1848 रकबा 0.89 है., 141/1849 रकबा 0.71 है., के साबिक खसरा नम्बर 50 थे, जो कि साक्ष्य दस्तावेज **प्रदर्श P-1 जमाबन्दी सम्वत 2033-2036 तथा प्रदर्श P-2 जमाबन्दी सम्वत 2037-2040** के अनुसार फूल्या पुत्र छोटू जाति दरोगा के नाम 1/4 हिस्से के रूप में दर्ज अंकित रही है। इन्ही साक्ष्य दस्तावेजो प्रदर्श **P-1, P-2** में यह

भी अंकित है कि उक्त खाते में ही एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 281 के रूप में भी वादी के पिता फूल्या पुत्र छोटू जाति दरोगा के नाम 1/4 हिस्से के रूप में अंकित रही है जिससे बने नवीन खाते के खसरा नम्बर 446, 470, 567 (**प्रदर्श P-8 मिलान क्षेत्रफल** के अनुसार) की खातेदारिता तो वादी व वादी की माता धन्नीदेवी बैवा फूला के नाम संयुक्त खातेदारिता के रूप में दर्ज हो गई (जो कि **प्रदर्श P-4 जमाबन्दी सम्वत 2058-2061** से स्पष्ट है) परन्तु साबिक खसरा नम्बर 50 से बने नवीन खसरा नम्बर 139/1847/2078, 139/2663, 140/1848, 141/1849 (**प्रदर्श P-8 मिलान क्षेत्रफल अनुसार**) की भूमि/विवादित भूमि वादी व वादी की माता धन्नीदेवी बैवा फूल्या जाति दरोगा के नाम संयुक्त रूप से 1/4 के रूप में दर्ज नहीं होकर मात्र वादी की माता धन्नीदेवी के नाम एकल रूप से 1/4 हिस्से के रूप में दर्ज हुई है (जो कि **प्रदर्श P-6 से स्पष्ट है**) जो कि धन्नीदेवी व धन्नीदेवी के समस्त वारिसान के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होनी अपेक्षित थी। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 2 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था जिसके सन्दर्भ में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य **प्रदर्श P-9 नामान्तरण प्रविष्टी सं. 158 दिनांक 06.07.2004** व मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2018 से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आ.ख.नं. 139/1847/2078, 139/2663, 140/1848, 141/1849 की अभिलिखित खातेदार धन्नीदेवी बैवा फूल्या जाति दरोगा (हिस्सा 1/4) की मृत्यु दिनांक 30.02.2000 को हो चुकी है। विरासतता व हिन्दु उत्तराधिकार के स्थापित प्रावधानों के अनुसार मृतक के विधिक वारिसान मृतक खातेदार की खातेदारिता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जिसके क्रम में मृतक धन्नीदेवी बैवा फूल्या जाति दरोगा निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर की अन्य खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में फौतगी नामान्तरण भगवान सिंह पुत्र फुला जाति दरोगा ग्राम रूण्डल के नाम पूर्व में स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। जो कि साक्ष्य दस्तावेज **प्रदर्श P-4 जमाबन्दी सम्वत 2058-2061, प्रदर्श P-5 जमाबन्दी सम्वत 2062-2065** के तुलनात्मक अध्ययन से भी

बखूबी स्पष्ट है। इस प्रकार चूंकि साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श P-9 नामान्तरण प्रविष्टी सं. 158 दिनांक 06.07.2004 व मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2018 के अनुसार यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिपेक्ष में धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके सन्दर्भ में धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा के वारिसान के रूप में उक्त विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज होना न्यायोचित व अपेक्षित है। अतः धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा के वारिसान के साथ वादी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना उचित है अतः यह तनकी भी मृतक धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा के समस्त विधिक वारिसान के साथ संयुक्त रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 3 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। यह तनकी सं. 1 व 2 की पूर्वक है, चूंकि तनकी सं. 1 व 2 का निस्तारण वादी के पक्ष में किया जा चुका है। अतः यह तनकी स्वतः ही वादी के पक्ष में सिद्ध तय की जाती है।

अनुतोष :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आ.ख.नं. 139/1847/2078, 139/2663, 140/1848, 141/1849 की खातेदारिता वादी के नाम अपनी माता धन्नीदेवी बेवा फूल्या जाति दरोगा हिस्सा 1/4 निवासी ग्राम रुण्डल के साथ संयुक्त रूप से दर्ज नहीं की जा सकी थी तथा कालान्तर में/वर्तमान परिपेक्ष में धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके सन्दर्भ में धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा के वारिसान के रूप में उक्त विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज होना न्यायोचित व अपेक्षित है। अतः धन्नीदेवी बेवा फूला जाति दरोगा के वारिसान के साथ वादी का नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।
निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक आमेर
मुख्यालय जयपुर